

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग
क्रमांक प. 12 (8)/शिक्षा-6/आरटीई /2014

जयपुर दिनांक /3.08.2015

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- निःशुल्क और अनियार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015-16 में प्रवृत्तित बालकों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश के काम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयात्तर्गत इस विभाग के सम संचाक पत्र दिनांक 16.02.2015 से जारी दिशा निर्देशों के अध्याय 3 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देशों को अधिकसित करते हुए सलानानुसार नवीन दिशा निर्देश एवं द्वारा प्रसारित किये जाते हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवद्वीप,

(लक्ष्मीलहौन, कुरेशी)

व.शासन उप सचिव

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक :-शिविरा/प्रारं/आरटीई/सी/निःशुल्क प्रवेश सत्यापन/18878/15-16/०६ दिनांक:-14.8.15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रोषेत है:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माशिक्षा कार्यालयों एवं विद्यालयों को उक्तानुसार कार्यवाही के लिए निर्देशित कराने का श्रम करावें।
4. श्री विनोद जैन, साइन्टिस्ट, (ग्रुप-डी) एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर को आरटीई वेब पोर्टल पर आवश्यक तदनुसार कार्यवाही करने हेतु।
5. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा समर्त को प्रेषित कर लेख है कि मण्डल के अधीन समर्त जि.सि.अ. (प्रा.शिक्षा) कार्यालय एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से टाईम फ्रेम के अनुसार पालना सुनिश्चित करावें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शिक्षा..... को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ ब्लॉक प्रा.शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं गैर सरकारी विद्यालयों को तदानुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार करवाना सुनिश्चित करें।
7. कार्यालय प्रति

आतिरक्त निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग
क्रमांक प. 12 (6) / शिक्षा-5/आरटीई/2014

जयपुर दिनांक 13-08-2015

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।


शिखण्डि— नियुक्त और अनियार्य याल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सत्र 2015-16 में प्रदेशित बालकों के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में दिशा निर्देश के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के सम संचयक पत्र दिनांक 16.02.2015 से जारी दिशा निर्देशों के अध्याय 3 भौतिक सत्यापन प्रक्रिया संबंधी दिशा निर्देशों को अधिकभित्त करते हुए संलग्नानुसार नवीन दिशा निर्देश एवं द्वासा प्रसारित किये जाते हैं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

शब्दांय,


(नरेंद्र सिंह चौहान कुरैशी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट साहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (खत्तर प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को प्रेषित कर लेखा है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं विद्यालयों को तदनुसार सूचित कर आवश्यक कार्यवाही करावे।
6. श्री विनोद जैन, साइन्सर्ट, (ग्रुप-डी), एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर को आरटीई येब पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. रक्षित प्रावली

लेखाधिकारी

